

**विधि विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 07 अक्टूबर, 2016

**संख्या: एल0एल0आर0-डी(6)-16/2016-लेज.**-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-10-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,  
(डा० बलदेव सिंह),  
प्रधान सचिव (विधि)।

**हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016**

**धाराओं का क्रम****धारा:**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध ।
4. तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार पर निर्बन्धन ।
5. तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण ।
6. विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के बिना तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दण्ड ।
7. खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय के लिए दण्ड ।
8. प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति ।
9. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना ।
10. अपराधों का शमन ।
11. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
12. नियम बनाने की शक्ति ।

2016 का अधिनियम संख्यांक 17

**हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 अक्टूबर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में खुली सिगरेटों और बीड़ियों का विक्रय प्रतिषिद्ध करने तथा सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन करने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

**2. परिभाषाएं.—**(1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सिगरेट" और "बीड़ी" के अन्तर्गत,—

(i) किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तम्बाकू न हो, लपेटी गई तम्बाकू की कोई रोल है; या

(ii) तम्बाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तम्बाकू की कोई रोल, जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तम्बाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट या बीड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है;

(ख) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "विक्रय" से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल में सम्पत्ति का अंतरण करना अभिप्रेत है चाहे नकदी के लिए हो या उधार पर हो या विनियम के रूप में हो और चाहे थोक या फुटकर में हो तथा इसके अन्तर्गत विक्रय के लिए कोई करार, विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है;

(घ) "परिसर" से, कोई ऐसा स्थान या वेसल अभिप्रेत है, जहां इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का खुदरा कारबार या किसी सिगरेट पदार्थ का और अन्य तम्बाकू उत्पादों का भण्डारण या खुदरा विक्रय किया जाता है;

(ङ) "व्यक्ति" से, कोई प्रकृत व्यक्ति, भागीदारी, सहकारी संगम, निगम, ब्यैक्तिक प्रतिनिधि, प्रापक, न्यासी, समनुदेशिनी या कोई अन्य विधिक अस्तित्व अभिप्रेत है;

(च) "तम्बाकू उत्पाद" से, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद अभिप्रेत हैं;

(छ) "रजिस्ट्रीकरण" से, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है; और

(ज) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पदाभिहित करे ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं ।

**3. खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध.—**कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर, खुली सिगरेटों या बीड़ियों का विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्थापना या विक्रय अनुज्ञात नहीं करेगा ।

**4. तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार पर निर्बन्धन.—**कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाए बिना किसी भी तम्बाकू उत्पाद का खुदरा कारबार नहीं करेगा।

**5. तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण.—**(1) कोई भी व्यक्ति जो सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों का खुदरा कारबार कर रहा है या कारबार करना चाहता है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से छह मास की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों और ऐसी सूचना से अन्तर्विष्ट, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्रदान करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और उसे ऐसी फीस के संदाय पर, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में नवीकृत किया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, छानबीन करने पर समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे नामंजूर कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, परिसर में सहजदृश्य स्थान पर ऐसी रीति में चिपकाया जाएगा ताकि यह सभी को दृश्यमान हो।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र अनंतरणीय होगा।

**6. विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के बिना तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दण्ड.—**(1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 4 और 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्पूर्वी उल्लंघन के लिए कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सामग्री या अन्य तम्बाकू उत्पाद, जिसकी बाबत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी होगा।

**7. खुली सिगरेटों और बिड़ियों के विक्रय के लिए दण्ड.—**(1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 5 की उपधारा (4) या (5) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपए और द्वितीय तथा प्रत्येक पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन समस्त अपराध शमनीय होंगे और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्तया विचारे जाएंगे।

**8. प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति.—**(1) कोई भी पुलिस अधिकारी जो सहायक उप—निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो या राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत अधिकारी, यदि उसके पास संदेह का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, किसी कारबार परिसर या किसी अन्य स्थान, जहां सिगरेटों और बिड़ियों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का खुदरा कारबार किया जा रहा है या जहां ऐसे उत्पादों का भण्डारण किया गया है, में किसी युक्तियुक्त समय पर, विहित रीति में, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

(2) यदि किसी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप—निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के पास संदेह का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन

किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी सामग्री का, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अभिग्रहण कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध लागू होंगे।

**9. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.**—इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

**10. अपराधों का शमन.**—(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी अपराध का अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा पाँच हजार रुपए की रकम के लिए शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया गया है, वहां अपराधी यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**11. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

**12. नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल पन्द्रह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व यदि विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करने में सहमत हो जाए या विधान सभा सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलिकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF SALE OF LOOSE CIGARETTES AND BEEDIES AND REGULATION OF RETAIL BUSINESS OF CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS ACT, 2016**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

**Sections:**

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Prohibition of sale of loose cigarettes and beedies.
4. Restriction on retail business of tobacco products.
5. Registration for the purpose of retail business of tobacco products.

6. Punishment for sale of tobacco products without a valid registration.
7. Punishment for sale of loose cigarettes and beedies.
8. Power of entry, search and seizure.
9. Offences to be cognizable and bailable.
10. Composition of offences.
11. Protection of action taken in good faith.
12. Power to make rules.

Act No. 17 of 2016

**THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF SALE OF LOOSE CIGARETTES  
AND BEEDIES AND REGULATION OF RETAIL BUSINESS OF CIGARETTES  
AND OTHER TOBACCO PRODUCTS ACT, 2016**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5<sup>TH</sup> OCTOBER, 2016)

AN

ACT

*to provide for prohibition of sale of loose cigarettes and beedies and regulation of retail business of cigarettes and other tobacco products operating in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.**— (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “cigarette” and “beedi ” includes,—

- (i) any roll of tobacco wrapped in paper or in any other substance not containing tobacco; or
- (ii) any roll of tobacco wrapped in any substance containing tobacco, which, by reason of its appearance, the type of tobacco used in the filter, or by its packaging and labeling, is likely to be offered to, or purchased by consumers as cigarette or beedi;

(b) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(c) “sale” with its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in Goods by one person to another, whether for cash or on

credit, or by way of exchange, and whether wholesale, or retail, and includes an agreement for sale, offer for sale or exposure for sale;

- (d) “premises” means any location or vessel where any form of retail business specified in this Act or storage or retail sale of any article of cigarettes and other tobacco products is done;
- (e) “person” means any natural person, partnership, co-operative association, corporation, personal representative, receiver, trustee, assignee, or any other legal entity;
- (f) “tobacco products” means the products specified in the Schedule appended to the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply, and Distribution) Act, 2003;
- (g) “registration” means the registration granted under section 5 of this Act; and
- (h) “Registering Authority” means such authority as the State Government may, by notification, designate.

(2) The words and expressions used in this Act, but not defined, shall have the meanings as defined in the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

**3. Prohibition of sale of loose cigarettes and beedies.**—No person shall sell, offer for sale, or permit sale of loose cigarettes or beedies within the State of Himachal Pradesh.

**4. Restriction on retail business of tobacco products.**—No person shall carry retail business of any tobacco products without being registered under section 5 of this Act.

**5. Registration for the purpose of retail business of tobacco products.**—(1) Any person who is carrying on or intends to carry on retail business of cigarettes and other tobacco products, shall make an application to the Registering Authority in such form and in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

(2) On receipt of application under sub-section (1), the Registering Authority shall, within a period of six months from the receipt of such application, grant Registration Certificate in such form, containing such particulars and such information as may be prescribed. The Registration Certificate shall be issued for a period of three years and may be renewed on payment of such fee and for such period and in such manner as may be prescribed.

(3) If on security the Registering Authority is satisfied that the application submitted under sub-section (1) is not complete in all respect, he may reject the same after affording the reasonable opportunity of being heard to the person concerned.

(4) The Registration Certificate shall be kept affixed in a conspicuous place in the premises in such manner as to be visible to everyone.

(5) The Registration Certificate shall be non-transferable.

**6. Punishment for sale of tobacco products without a valid registration.**—(1) Any person who contravenes the provisions of section 4 shall be guilty of an offence under this Act

and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both, and for the second or subsequent contravention, with imprisonment which may extend to one year and with fine which may extend to one lac rupees.

(2) Save as provided under sub-section (1), any material or other tobacco products in respect of which any provision of this Act has been or is being contravened, shall be liable to confiscation.

**7. Punishment for sale of loose cigarettes and beedies.—**(1) Any person who contravenes the provisions of section 3 or sub-section (4) or (5) of section 5 shall be guilty of an offence under this Act and shall be punishable with fine of ten thousand rupees for the first offence and with fine of fifteen thousand rupees for the second and subsequent offence.

(2) All offences under this section shall be compoundable and shall be tried summarily in accordance with the procedure provided for summary trial in the Code of Criminal Procedure, 1973.

**8. Power of entry, search and seizure.—**(1) Any police officer, not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any authorized officer of the State Government may, if he has reason to suspect that any provision of this Act has been, or is being, contravened, enter and search in the manner prescribed, at any reasonable time, any business premises or any other place where retail business of cigarettes or beedies or any other tobacco products is being carried or where such products are stored.

(2) If any police officer, not below the rank of Assistant Sub-Inspector or authorized officer of the State Government has reason to believe that any of the provisions of this Act has been, or is being, contravened, he may seize such material in the manner prescribed.

(3) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to every search and seizure made under this Act.

**9. Offences to be cognizable and bailable.—**All offences under this Act shall be cognizable and bailable.

**10. Composition of offences.—**(1) Any offence committed under section 3 of this Act may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officer authorized by the State Government for an amount of five thousand rupees.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of such offence.

**11. Protection of action taken in good faith.—**No. suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

**12. Power to make rules.—**(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the

expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, and if the Assembly agrees in making any modification in the rule or if assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.